

313

189

निगां - 6048/2018/सतना/शु.रा०

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक



अधिवक्ता राजशवाज सिंह
 ठिकाना डा.प.प.मा.
 06-10-18

क्लर्क आफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
 (राजस्व मण्डल सेवा)

1- भूप्रराज पटेल तनय मोतीलाल पटेल

2- रामलखन पटेल तनय मोतीलाल पटेल

3- उमाकान्त पटेल तनय मोतीलाल पटेल

4- राज कुमार पटेल मृतक द्वारा विधिक वारिस

क- श्रीमती विटनदेवी पत्नी स्व० राज कुमार पटेल

ख- काजल पुत्री स्व० राज कुमार उम्र 19 वर्ष

ग- कश्मिा पुत्री स्व० राज कुमार उम्र 12 साल

घ- आशिका पुत्री राज कुमार उम्र 10 साल

ड- नितेश कुमार तनय स्व० राज कुमार उम्र 8 साल नावा० द्वारा वली
 मां श्रीमती विटन पत्नी स्व० राज कुमार
 सभी निवासीगण ग्राम कुर्मिहा टोला तहसील रामपुरबमधेलान

जिला सतना म०प्र०

---- निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

रामस्वरुप सिंह तनय हरिदीन सिंह निवासी कुर्मिहा टोला

रामपुर बाधेलान, तहसील रामपुर बाधेलान जिला सतना म०प्र०

----- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक

10-9-18 श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय

रीवा संभाग रीवा सर्किट कोर्ट सतना

के प० प्रकरण क्रमांक 1028/ अपी

रामस्वरुप सिंह


(189)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रक्रमांक बिग 6048/2018/अ.नं./अ.जिला-मतना

पुनर्पत्रण पटल विरुद्ध रामस्वरूप सिंह

(1)	(2)	(3)
16-1-19.	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>रामउजवागर सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक <u>1028/अ.नं./2012-13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>10.09.18</u> के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक <u>06.10.18</u> प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	